दाण्डिक प्रकरण कमांक–01/2018

Witness.No ***02*** For ***अभियोजन साक्ष्य*** Deposition taken

the ***12/02/2018*** day of Witness's apparent age ***32 वर्ष***

States on affirmation my name is ***परदेशी सोनकर***

son of ***शत्रुहन*** occupation ***व्यवसाय***

address ***सोनकर मोहल्ला थाना सिमगा जिला बलौदाबाजार छ0ग0***

01. मैं न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को पहचानता हूॅ। घटना आज से करीब चार माह पूर्व की है। घटना दिनांक को मेरे मामा अर्जुन के द्वारा जानकारी दी थी कि अभियुक्त, आहत कुमारी बाई को अपने मोटरसायकल वाहन में बिठाकर नेवरा से वापस सिमगा की ओर जा रहा था तो रात्रि के समय वापस आते समय कुमारी बाई सोनकर मोटरसायकल से गिर गई है। मैं सूचना पर मैं अपने मामा परदेशी सोनकर के साथ घ ाटनास्थल पर आया था। कुमारी बाई को ईलाज हेतु मिशन अस्पताल तिल्दा लेकर गये थे। मैं मिशन अस्पताल तिल्दा में आहत को जाकर देखा तो उसे सिर में चोट लगी थी। चिकित्सक के द्वारा आहत को अग्रिम ईलाज हेतु रायपुर ले जाने की सलाह दिया गया था। आहत को वी केयर अस्पताल अग्रिम ईलाज हेतु भर्ती किया था जहां ईलाज के दौरान कुमारी बाई की मृत्यु हो गई थी। किसकी गलती से कुमारी बाई का एक्सीडेंट हुआ है मैं नही जानता हूं।

02. पुलिस ने मेरे समक्ष अभियुक्त से मोटरसायकल कमांक सीजी 04 एल एन 1082 को मय दस्तावेज तथा अभियुक्त के लायसेंस को जप्त किये थे जो जप्ती पत्रक प्रपी–04 है। पुलिस ने मेरे समक्ष अभियुक्त को गिरफ्तार किये थे जो गिरफ्तारी पत्रक प्रपी–05 है। पुलिस ने मेरा बयान लिया है।

नोटः– इस स्तर पर ए डी पी ओ ने साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने योग्य प्रश्न पूछने की अनुमति चाही, प्रकरण के अवलोकन के बाद अनुमति दी गई।

03. यह कहना सही है कि अभियुक्त मेरा मामा है। यह कहना गलत है कि अभियुक्त को बचाने के लिये अभियुक्त के द्वारा अपनी मोटरसायकल कमांक सीजी 04 एल एन 1082 को तेज एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर एक्सीडेंट करने वाली बात को नही बता रहा हूं।

–: प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री परीक्षित चतुर्वेदी अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त :–

04. यह कहना सही है कि मैने घटना होते हुये नही देखा है। यह कहना सही है कि मृतिका कुमारी बाई कैसे वाहन से गिरी है एवं उसका कैसे एक्सीडेंट हुआ है मैं नही बता सकता। यह कहना सही है कि पुलिस के कहने पर मैने हस्ताक्षर किया हैं।

वाचित/स्वीकृत। **मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।**

गवाह के ह0/अ0नि0

(श्रीमती कंचनलता आचला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
तिल्दा जिला रायपुर

(श्रीमती कंचनलता आचला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
तिल्दा जिला रायपुर

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक–01/2018

Witness.No ***01*** For ***अभियोजन साक्ष्य*** Deposition taken

the ***12/02/2018*** day of Witness's apparent age ***50 वर्ष***

States on affirmation my name is ***अर्जुन सोनकर***

son of ***प्यारे लाल सोनकर*** occupation ***व्यवसाय***

address ***सोनकर मोहल्ला थाना सिमगा जिला बलौदाबाजार छ0ग0***

01. मैं न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को पहचानता हूॅ। घटना आज से करीब चार माह पूर्व की है। घटना दिनांक को अभियुक्त मेरी पत्नि कुमारी बाई को अपने मोटरसायकल वाहन में बिठाकर नेवरा से वापस सिमगा की ओर जा रहा था। अभियुक्त के द्वारा मुझे फोन कर बताया कि रात्रि के समय वापस आते समय भाभी कुमारी बाई सोनकर मोटरसायकल से गिर गई है। मैं सूचना पर मैं अपने भांजे परदेशी सोनकर के साथ घ ाटनास्थल पर आया था। मेरी पत्नि कुमारी बाई को ईलाज हेतु मिशन अस्पताल तिल्दा लेकर गये थे। मैं मिशन अस्पताल तिल्दा में अपनी पत्नि को जाकर देखा तो मेरी पत्नि कुमारी बाई के सिर में चोट लगी थी। चिकित्सक के द्वारा मुझे आहत को अग्रिम ईलाज हेतु रायपुर ले जाने की सलाह दिया गया था। मैने आहत को वी केयर अस्पताल अग्रिम ईलाज हेतु भर्ती किया था जहां ईलाज के दौरान मेरी पत्नि आहत कुमारी बाई की मृत्यु हो गई थी। किसकी गलती से कुमारी बाई का एक्सीडेंट हुआ है मैं नही जानता हूं।

02. मैं मृतिका कुमारी बाई के शव परीक्षण कार्यवाही में उपस्थित था। शव परीक्षण कार्यवाही में उपस्थित होने बाबत् नोटिस प्रपी–01 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। नक्शा पंचायत नामा प्रपी–02 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मैने मृतिका कुमारी बाई के शव को शव परीक्षण उपरांत कफन दफन हेतु सुपुर्दनामा में प्राप्त किया है जो सुपुर्दनामा प्रपी–03 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

03. पुलिस ने मेरे समक्ष अभियुक्त से मोटरसायकल क्रमांक सीजी 04 एल एन 1082 को मय दस्तावेज तथा अभियुक्त के लायसेंस को जप्त किये थे जो जप्ती पत्रक प्रपी–04 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने मेरे समक्ष अभियुक्त को गिरफ्तार किये थे जो गिरफ्तारी पत्रक प्रपी–05 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने मेरे समक्ष घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया है जो नजरी नक्शा प्रपी–06 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने मेरा बयान लिया है।

नोटः– इस स्तर पर ए डी पी ओ ने साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने योग्य प्रश्न पूछने की अनुमति चाही, प्रकरण के अवलोकन के बाद अनुमति दी गई।

04. यह कहना सही है कि अभियुक्त मेरा सगा भाई है। यह कहना गलत है कि अभियुक्त को बचाने के लिये अभियुक्त के द्वारा अपनी मोटरसायकल क्रमांक सीजी 04 एल एन 1082 को तेज एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर एक्सीडेंट करने वाली बात को नही बता रहा हूं।

–: प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री परीक्षित चतुर्वेदी अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त :–

05. यह कहना सही है कि मैने घटना होते हुये नही देखा है। यह कहना सही है कि मेरी पत्नि कैसे वाहन से गिरी है एवं उसका कैसे एक्सीडेंट हुआ है मैं नही बता सकता। यह कहना सही है कि पुलिस के कहने पर मैने हस्ताक्षर किया हैं।

वाचित/स्वीकृत। **मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।**

गवाह के ह0/अ0नि0

(श्रीमती कंचनलता आचला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
तिल्दा जिला रायपुर

(श्रीमती कंचनलता आचला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
तिल्दा जिला रायपुर